न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
04/2020	धारा 212 RTA	07.02.2020	31.12.2020

सांवरमल पुत्र हीराराम पूनिया जाति जाट आयु 60 वर्ष निवासी श्योपुरा तहसील व जिला चूरू राजस्थान

—प्रार्थी—

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र हीराराम जाति जाट आयु 52 वर्ष } निवासीगण श्योपुरा तहसील
2. बीरबल पुत्र हीराराम जाति जाट आयु 54 वर्ष }
3. रामलाल पुत्र हीराराम जाति जाट आयु 57 वर्ष } व जिला चूरू राजस्थान
4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर जिला चूरू जरिये शाखा प्रबन्धक
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रतननगर जिला चूरू जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चूरू जिला चूरू राजस्थान।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनुवानी वाद पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सुदृढ़ तथ्यों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी उपरोक्त वर्णित पते पर स्थाई रूप से निवास करते हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 तगायत 3 के स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या पुराना 89 नया खाता संख्या 77 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/22 रकबा 2.9087 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 3.6675 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.7027 हैक्टेयर स्थित ग्राम श्योपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू में है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक पक्षकार का 1/4 हिस्सा निहित है तथा संयुक्त रूप से काबिज हो... उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को अप्रार्थी सं. 4 बैंक ऑफ बड़ौदा के यहां रहन रखी हुई है। इसी प्रकार प्रार्थी के द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी सं. 5 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के यहां रहन रखी हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की जमीन पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थी के हिस्से 1/4 की ... में बाधा उत्पन्न करते हैं और कब्जे से बेदखल करने पर उतारू हो ... दिन नाजायज रूप से प्रार्थी को तंग, हैरान व परेशान करते हैं तथा प्रार्थी ... लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को कई बार मौखिक रूप से वाद प... मद संख्या 1 में वर्णित आराजियात् की भूमि का विभाजन कर अपना हक व हिस्सा व खाता अलग करने बाबत निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थी की बातों को नजरअन्दाज कर दिया तथा उपरोक्त वर्णित आराजियात भूमि का तकासमा नहीं करवा रहे हैं तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

यह कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से की भूमि वाद पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी में दर्शित है, पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के साथ संयुक्त रूप से काबिज चला आ रहा है तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्से की भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाने का हकदार है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस आशय की तकासमा की डिक्री प्राप्त करने के हकदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या पुराना 89 नया खाता संख्या 77 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/22 रकबा 2.9087 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 3.6675 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.7027 हैक्टेयर स्थित ग्राम श्योपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू में है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक पक्षकार का 1/4 हिस्सा निहित है, को मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जावे तथा प्रार्थी के हक व हिस्से की उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में प्रार्थी के हिस्से अनुसार अलग से खाता एवं लगान कायम किया जावे तथा नक्शे में तरमीम की जावे।

यह कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या पुराना 89 नया खाता संख्या 77 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/22 रकबा 2.9087 है0, खसरः नम्बर 52 रकबा 3.6675 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.7027 हैक्टेयर स्थित ग्राम श्योपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू में है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक पक्षकार का 1/4 हिस्सा निहित है, जो प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त कार्य ना तो स्वयं करें, ना ही नौकर, चाकर, प्रतिनिधि, रिश्तेदार आदि से करावें। अप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार, चूरू को लैण्ड होने से पक्षकार बनाया गया है एवं अप्रार्थी सं. 4 व 5 को वाद पत्र में वर्णित मद संख्या 1 में कृषि भूमि रहन रखी होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस बखूबी प्रमाणित है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को ताफैसला पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अपने हक व हिस्से की भूमि में मिट्टी डालकर जबरन निर्माण कर विक्रय, हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द कर बेदखल कर देंगे, जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो सकेगी तथा अनायास ही मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या पुराना 89 नया खाता संख्या 77 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 187/22 रकबा 2.9087 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 3.6675 है0, खसरा नम्बर 94 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.7027 हैक्टेयर स्थित ग्राम श्योपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रतननगर तहसील व जिला चूरू में है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का प्रत्येक पक्षकार का 1/4 हिस्सा निहित है, जो प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड है, का अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। उक्त कार्य ना तो स्वयं करें, ना ही नौकर, चाकर, प्रतिनिधि, रिश्तेदार आदि से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री नरेन्द्र सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा। अप्रार्थी सं. 1, 4, 5 पर तामील होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आया तत्पश्चात् कोविड–19 के कारण अदालती कार्यवाही स्थगित रही। इसी दौरान दिनांक 07.12.2020 को प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय मौके के छाया चित्र पेश कर पत्रावली को आज की पेशी में ली जाकर सुनवाई करने का निवेदन किया तथा अंकित किया कि पत्रावली में आगामी तारीख पेश 29.12.2020 नियत है अप्रार्थी बीरबल द्वारा वादगत कृषि भूमि में पुख्ता व पक्का निर्माण नींव खोदकर चालू कर रखा है। आगामी तारीख पेशी दूर होने के कारण अप्रार्थीगण मौके पर निर्माण कार्य पूर्ण कर लेंगे। स्थगन व वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय छाया चित्रों के अवलोकन से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होने पर हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। हल्का पटवारी श्योपुरा ने दिनांक 11.12.2020 को मौका रिपोर्ट पेश की जिस पर वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 को सूचित किया जाकर पत्रावली में सुनवाई की तारीख दिनांक 16.12.2020 नियत की गई। नियत दिनांक 16.12.2020 को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का श्योपुरा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। रिकार्ड का अवलोकन करने एवं बहस के तथ्यों पर मनन करने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस अमर का जारी किया गया कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं. 94 तादादी 0.1265 हैक्टेयर रोही ग्राम श्योपुरा तहसील चूरू में किये जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाकर वर्तमान मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.12.2020 तक बनाये रखने का आदेश दिया गया।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से जवाब मय मौके के छाया चित्र पेश किये। जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री गजेन्द्र खत्री एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 5 को न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में अंकित तथ्य कि उक्त अनुवान का दावा पेश करने के तथ्य सही दर्ज करवाये जाने के कारण स्वीकार हैं परन्तु दावा गलत आधार पर काल्पनिक तथ्यों पर कानूनी प्रावधानों के विपरीत मनमाने तथ्यों पर आधारित होने के कारण एवं तथ्य छुपाये जाने के कारण क्लीन हैण्ड से दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज योग्य है। प्रा0पत्र की मद सं. 2 में अंकित तथ्य लगभग सही दर्ज करवाये जाने के कारण स्वीकार हैं। इस मद में दर्ज तथ्य संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। वादगत कृषि भूमि का मौका पर 20 वर्षों से अधिक समय से आपसी सहमति से विभाजन होकर मौका पर सभी खातेदार अपने अपने हक एवं हिस्सा पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं सभी खातेदारों ने अपनी अपनी भूमि अलग अलग काश्त [illegible] की भूमि के बीच पुख्ता सीमांकन दीवार, तारबन्दी एवं बाड़ कर रखी है। प्रा0पत्र की मद [illegible] 3 [illegible] अंकित तथ्य सही दर्ज करवाये जाने के कारण स्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना [illegible] तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। वादगत कृषि भू[illegible] के मध्य भौतिक विभाजन बहुत पहले ही होकर सीमांकन चला आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भू[illegible]में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। अप्रार्थी बीरबल अपने हक एवं हिस्से एवं कब्जा काश्त की भूमि पर ही निर्माण कर रहा है। निर्माणाधीन भूमि कृषि के उपयोग में नहीं आ रही है। रिहायश के रूप में काफी वर्षों से काम आ रही है। प्रा0पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

की मद सं. 5 में अंकित तथ्य सही दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 में अंकित तथ्य पूर्णतया सही दर्ज करवाये जाने के कारण स्वीकार नहीं है। वादगत कृषि भूमि संयुक्त कब्जा काश्त में नहीं, मौका पर काफी वर्षों पूर्व से ही विभाजन होकर अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी द्वारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाने की प्रार्थना से स्वतः ही साबित है कि मौका पर पहले ही विभाजन हो गया है इसलिए ही बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन की मांग की गई है। प्रा0पत्र की मद सं. 7 में अंकित तथ्य सही दर्ज करवाये जाने के कारण स्वीकार हैं। राजस्व रिकार्ड में सभी खातेदारों के 1/4, 1/4 हिस्सा पांती में आना सही दर्ज है बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन की मांग से ही स्वतः ही साबित है कि वादगत कृषि भूमि का भौतिक विभाजन बहुत ही पहले होकर सभी खातेदार अपने अपने हिस्सा पर आवास काश्त करते चले आ रहे हैं। ख.नं. 94 की भूमि काफी वर्षों से आवास के उपयोग उपभोग में काम आ रही है। सभी खातेदार ख.नं. 94 की भूमि पर मकानात बना कर अपने अपने हक एवं हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहे हैं एवं सभी खातेदारों ने अपने अपने हक एवं हिस्से के दीवार, तारबन्दी एवं बाड़ बनाकर पुख्ता सीमांकन कर रखा है अर्थात् मौका पर भौतिक विभाजन बहुत पहले ही हो गया है। प्रा0 पत्र की मद सं. 8 में अंकित तथ्य वादगत कृषि भूमि में सभी चारों खातेदारों का 1/4 हिस्सा है, के तथ्य सही दर्ज करवाये जाने के कारण स्वीकार हैं। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 प्रार्थी की भूमि में कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। अप्रार्थी बीरबलराम अपने कब्जा, मालिकाना हक की भूमि पर अपनी आवश्यकता हेतु निर्माण करवा रहा है। प्रा0पत्र की मद सं. 9 में अंकित तथ्य कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रा0पत्र की मद सं. 10 में अंकित तथ्य सही दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण अस्वीकार हैं। वादगत कृषि भूमि का मौका पर भौतिक विभाजन बहुत पहले होकर सभी खातेदार अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करने के कारण एवं अप्रार्थी बीरबलराम अपने कब्जा मालिकाना हक की भूमि में अपनी आवश्यकता अनुसार रिहायशी मकानात बना रहा है उसके निर्माण में बाधा पहुंचाने का प्रार्थी को कोई हक एवं अधिकार कानूनन नहीं है। अप्रार्थी बीरबलराम के स्वामित्व एवं कब्जा की भूमि पर प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है ना ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त है तथा अप्रार्थी अपनी भूमि पर निर्माण करने से प्रार्थी को कोई अपूर्तिय क्षति नहीं हो रही है।

अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 सगे भाई हैं एवं अपनी पैतृक कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा के मालिक काबिज व काश्तकार रहते हुए मौका पर करीब 20 वर्षों से अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर अलग अलग सीमांकन कर अपने अपने हिस्से में काश्त उपयोग,उपभोग करते चले आ रहे हैं। ख.न. 94 रकबा 0.1265 हैक्टेयर जो कि गांव की आबादी के चिपते हुए होने के कारण चारों भाईयों नें 20 वर्षों सं अधिक समय से ही ख.न. 94 की भूमि में अपने अपने मकानात बनाकर रिहायश करते चले आ रहे है चारों ने अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते चले आ [illegible] पहले मौका पर विभाजन कर रखा है अन्य कृषि भूमि का भी चारों में आपसी सहमति [illegible] पर विभाजन कर पुख्ता सीमांकन कर रखा है एवं सभी में बड़े बड़े पेड़ आदि [illegible] 1 ता 3 ने खसरा नम्बर 94 में अपने अपने मकानातों का निर्माण कर [illegible] चिपते ही आबादी भूमि पर भी कब्जा कर गुवाड़ी के रूप में पशु धन एवं कृषि जीन्स आदि डाल [illegible]र उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे है चूंकि बीरबलराम के पहले मकानात कम थे और अब परिवार बड़ा होने के कारण और मकानातों की जरूरत होने के कारण बीरबलराम अपने हिस्से की भूमि में और मकानातों का निर्माण कर रहा है। अप्रार्थी बीरबलराम प्रार्थी की भूमि को किसी तरह बाधित नहीं कर रहा तथा न ही प्रार्थी की भूमि पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

करना चाहता है क्योंकि दानों की भूमियों के मध्य पुख्ता दीवार तारबन्दी एवं बाड़ कर सीमांकन चल रहे है। ख.न. 94 की भूमि रकबा 0.1205 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 ने 20 वर्षो से अधिक समय से मौका पर विभाजन कर पुख्ता सीमांकन कर अपने अपने हिस्से पर रिहायश करते चले आ रहे है । प्रार्थी बीरबलराम अपने हिस्से पर ही मकानों का निर्माण कर रहा है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित है और खातेदार अपने हिस्से की भूमि पर मौका विभाजन के बाद निर्माण करने का अधिकारी है अप्रार्थी बीरबलराम ने अपने मकानों की नींव भरकर कुछ उंचाई तक निर्माण कर लिया है इसलिए यदि प्रार्थी बीरबलराम को अपने हिस्से में करवाये जा रहे निर्माण को रोका जाता है तो उसकी निर्माण सामग्री खराब होगी अर्थात अपूर्तिय क्षति होगी यदि निर्माण रोका जाता है तो निर्माण सामग्री खराब होगी एवं मजदूरों आदि के रोजगार आदि में काफी असुविधा होगी। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों ही सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त एवं सुविधा के सन्तुलन का सिद्धान्त अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी सांवरमल का प्रार्थना पत्र बिना आधार के काल्पनिक तथ्यों पर मात्र अप्रार्थी बीरबलराम का निर्माण कार्य रूकवा कर तंग परेशान करने वाला कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण का जवाब पेश होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वादगत कृषि भूमि का संयुक्त खातेदार व काबिज काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण सह खातेदार हैं। कृषि भूमि ख.नं. 94 आबादी के करीब स्थित है जो अविभाजित सम्पत्ति है। वादगत कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर हमने विभाजन चाहा है। ख.नं. 94 में पूर्व में आवास बने हुए हैं। प्रार्थी के पास उक्त खसरे में से अपने हिस्से से कम भूमि है जबकि अप्रार्थी सं. 2 बिना विभाजन करवाये इस खसरे में नया आवास बना रहा है। इसलिए अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः पत्रावली में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा पुष्ट किया जावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 14.08.2012 देवा आदि बनाम राजस्व मण्डल अजमेर आदि पृष्ठ 523 से 526 व माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर की एस.बी. सिविल रिट पीटीशन सं. 1585/2012 के निर्णय दिनांक 11.04.2012 की प्रति पेश की।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि ख.नं. 94 का रकबा मात्र 0.1265 हैक्टेयर है। उक्त ख.नं. 94 एवं आबादी की जमीन जोड़ते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने आपस में मौके पर विभाजन कर लिया। इसलिए विभाजन पूर्व में ही हो चुका है। उक्त विभाजन के अनुसार ही अप्रार्थी अपने हिस्से व कब्जा की भूमि में निर्माण कर रहा है। उक्त खसरे की भूमि रिहायश के काम में ही आ रही है। प्रार्थी के हिस्से में ख.नं. 94 में से कम भूमि आने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रार्थी ने पेश नहीं किया है। इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर पेश दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073, छाया चित्रों एवं मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 11.12.2020 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 52, 94, 187/22 तादादी क्रमशः 3.6675, 0.1265, 2.9087 कुल तादादी 6.7027 हैक्टेयर रोही ग्राम श्योपुरा प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। प्रार्थी ने वादगत कृषि भूमि बाबत खाता विभाजन का दावा न्यायालय में पेश कर रखा है जो जेरकार है। दौराने

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सुनवाई दावा अप्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए प्रार्थी ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करवाना चाहता है। प्रस्तुत प्रकरण में वकील अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से जवाब पेश कर उक्त कृषि भूमि का मौके पर विभाजन काफी वर्षों पहले होने का अंकन करते हुए अप्रार्थी बीरबल द्वारा अपने हिस्से व कब्जे में ही निर्माण करने का कथन किया है। साथ ही विवादित ख.नं. 94 में सभी चारों पक्षकारों के आवासीय मकानात बने हुए होना जाहिर किया है एवं यह भी अंकित किया है कि उक्त खसरे की सम्पूर्ण भूमि का आवासीय उपयोग उपभोग किया जा रहा है। वकील प्रार्थी ने उक्त खसरे में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 के मकानात पूर्व से ही बने होने के तथ्य को स्वीकार किया है परन्तु उक्त ख.नं. 94 में से प्रार्थी के हिस्से में भूमि का कम होना जाहिर किया है। मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का श्योपुरा दिनांक 11.12.2020 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में से ख.नं. 94 में ताराचन्द, बीरबल, रामलाल, सांवरमल के अलग–अलग आवासीय मकान बने हुए हैं। ख.नं. 94 में बीरबलराम द्वारा आवासीय मकान बनवाया जा रहा है। रिपोर्ट के फर्द मौका में बीरबलराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी श्योपुरा द्वारा 40×28 = 1120 वर्गफुट भूमि पर लगभग 1½ फुट नींव खोद रखी होना अंकित है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 से 3 के स्वयं के हस्ताक्षर अंकित हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत छाया चित्रों के अवलोकन से भी ख.नं. 94 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 के आवासीय मकानात बने हुए होना दर्शित हैं तथा अप्रार्थी बीरबल द्वारा नींव खोदकर निर्माण कार्य चालू करने के तथ्य की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि "No co-sharer can be permitted to raise construction without determination of individual share of the parties - ......"

पत्रावली एवं प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड, मौका रिपोर्ट व छाया चित्रों के अवलोकन व बहस के तथ्यों पर मनन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की है जिसका विधिवत विभाजन अभी नहीं हुआ है परन्तु रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं मौके के छाया चित्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित ख.नं. 94 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पुराने मकानात बने हुए हैं तथा सभी ने तारबन्दी व बाड़ आदि कर रखी है जिससे उक्त खसरे की भूमि का मौके पर विभाजन पहले से ही होना प्रतीत होता है एवं उसी अनुसार अप्रार्थी अपने हक व कब्जे में उक्त निर्माण करवा रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि प्रार्थी ने भी उक्त खसरे में निर्माण कर रखा है तथा निर्माण को स्वयं ने स्वीकार भी किया है, तब सह खातेदार अप्रार्थीगण को निर्माण से वर्जित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि ख.नं. 94 में से प्रार्थी के हिस्से में कम भूमि आई हुई है परन्तु उसके प्रमाण स्वरूप कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिससे यह तथ्य साबित नहीं होता। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जो कि इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि प्रार्थी ने भी उक्त खसरे की भूमि में अपना आवासीय मकान पूर्व से ही बना रखा है। ऐसी स्थिति में दूसरे सह खातेदार को निर्माण से वर्जित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने द[illegible]ना पत्र की आड़ में विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करना चाहता है। इसलिए [illegible] सन्तुलन का सिद्धान्त एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में [illegible] नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

आदेश

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के के पक्ष में पूर्णतया प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं पत्रावली में जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.12.2020 को निरस्त किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:24:11 IST
Reason: SelfAttested